न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 156/2023

1. बसन्तबाला पत्नी शमेदकुमार जाति जाट निवासी हाल आबाद चक 17 बीडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

...प्रार्थीया

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टीबी तहसील श्रीगंगानगर
2. राजस्थान राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मुकेशकुमार अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से
2. श्री रफीकशाह अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से

–: आदेश :– **दिनांक 07.05.24**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीया के ससूर रामप्रताप अप्रार्थी सं0 1 के नाम से कृषि भूमि चक 17 बीडी ए मु0नं0 114/5 के किला नं0 4/2 में 0.1265 है0, 5 ता 8, 13 ता 17 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/1 में 0.1265 है0, 23/2 में 0.1265 है0, 24 में 0.2529 है0, 25 में 0.2529 है0 कुल 3.1614 है0 क0/अ0क0 खातेदारीशुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीया का ससूर है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया मकान बनाकर अपने पति के साथ निवास कर रही है तथा उपरोक्त भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के ससूर के नाम से दर्ज है को प्रार्थीया के ससूर के पिता हजारीराम ने अपनी पुश्तैनी भूमि तहसील टिब्बी के चक 15 एफटीपी को विक्रय कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से अप्रार्थी सं0 1 के नाम से खरीद की गई है तथा इसी रकबा में कुछ भूमि अप्रार्थी सं0 1 के भाई के नाम से खरीद की गई है। इसलिए उपरोक्त वादगत भूमि प्रार्थीया की पुश्तैनी कृषि भूमि की श्रेणी में आती है। इसप्रकार उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीया का हिस्सा एवं हक निहित है। अप्रार्थी सं0 1 के कुल दो संतान है। इसप्रकार प्रार्थीया के पति का उपरोक्त भूमि 3.16.14 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि बनता है । जिसपर प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा बनता है। जिसपर प्रार्थीया का भी हक एवं हिस्सा निहित है। प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है एवं प्रार्थीया के ससूर ने घरेलू बंटवारा में उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीया को दे रखी है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीया का ससूर उक्त भूमि में प्रार्थीया के हिस्से आई भूमि से प्रार्थीया को बेदखल कर उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। ताकि वह प्रार्थीया को उसकी पुश्तैनी भूमि के हक व हिस्से से वंचित कर सके । जो सरासर गलत है।

इसप्रकार वह प्रार्थीया को उनकी पुश्तैनी भूमि के हक व हिस्से से वंचित करना चाहता है। इसप्रकार प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है। उपरोक्त पुश्तैनी भूमि से प्रार्थीया को अप्रार्थी सं0 1 बेदखल कर देगें तो काफी असुविधा होगी। इसप्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जिसका मुद्राओं में आंकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया

के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि चक 17 बीडी ए मु0नं0 114/5 के किला नं0 4/2 में 0.1265 है0, 5 ता 8, 13 ता 17 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/1 में 0.1265 है0, 23/2 में 0.1265 है0, 24 में 0.2529 है0, 25 में 0.2529 है0 कुल 3.1614 है0 क0/अ0क0 भूमि में प्रार्थीया के पति की 1/2 हिस्सा भूमि में से प्रार्थीया के हक एवं हिस्से की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 किसी अन्य के नाम से नहीं करवाये या अन्य किसी को विक्रय नहीं करे एवं उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थीया के हक एवं हकूको पर कुठाराघात ना हो तथा रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थित बनाये रखने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी रामप्रताप की ओर से बाद तलवी अधिवक्ता श्री रफीकशाह ने उपस्थित जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम की चक 17 बीडी ए मु0नं0 114/5 के किला नं0 4/2 में 0.1265 है0, 5 ता 8, 13 ता 17 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/1 में 0.1265 है0, 23/2 में 0.1265 है0, 24 में 0.2529 है0, 25 में 0. 2529 है0 कुल 3.1614 है0 क0/अ0क0 भूमि का बेचान दिनांक 21.9.23 को ओंकार नाथ योगी पुत्र जेठनाथ योगी जाति नाथ निवासी वार्ड 28 हरिजन बस्ती स्कूल के पास लूनकरनसर जिला बीकानेर को बेचान कर बैयनामा करवा चुका है जबकि प्रार्थीया ने दिनांक 4.10.23 को 15 दिवस बाद झूठी कहानी बनाकर प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। इसलिए प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र मय हर्जाखर्चा निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों दोहराते हुवे प्रार्थीया का मनगढत बातों के आधार पर पेश प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीया ने अपनों कथनों को साबित करने के पक्ष में ऐसा कोई ठोस सबूत/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रार्थीया के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनता हो और भूमि प्रार्थीया के नाम नहीं है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है और प्रार्थीया को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज करते हुवे दिनांक 4.10.23 को जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावे। अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीया साबित करने में असफल रहे है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस का अध्ययन मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीया साबित करने में असफल रही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है साथ ही चक 17 बीडी ए मु0नं0 114/5 के किला नं0 4/2 में 0.1265 है0, 5 ता 8, 13 ता 17 प्रत्येक में 0.2529 है0, 18/1 में 0.1265 है0, 23/2 में 0.1265 है0, 24 में 0.2529 है0, 25 में 0.2529 है0 कुल 3.1614 है0 क0/अ0क0 कृषि भूमि में प्रार्थीया बसन्तबाला प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 4.10.23 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक ....2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)